



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 905]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2015/वैशाख 11, 1937

No. 905]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015 /VAISAKHA 11, 1937

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2015

का.आ.1162 (अ).-केन्द्रीय सरकार, जैविकीय विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली प्रशासन के परामर्श से दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली प्रशासन निम्न तालिका के कॉलम (2) में सूचीबद्ध ऐसे पशुओं की प्रजातियां, जो लुप्त होने की कगार पर हैं, को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

तालिका

क्रम संख्या	पशु का नाम
(1)	(2)
1	बैलइनोटिरा मस्कुलस (लिनेइयस, 1758)

2. तालिका के कॉलम (2) में सूचीबद्ध पशुओं की प्रजातियों के संग्रह को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली प्रशासन के अनुमोदन को छोड़कर, प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) वैज्ञानिक अनुसंधान;
 - (ख) वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थाओं के वनस्पति-संग्रहालय और संग्रहालय;
 - (ग) प्रचार; और
 - (घ) कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण।
3. दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली प्रशासन निम्नलिखित कार्य करेगा :-
- (i) समग्र तालमेल के लिए अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन;
 - (ii) यथावत और पूर्ववत संरक्षण तथा पुर्नवास के प्रयोजन हेतु अधिसूचित प्रजातियों का प्रचार; और
 - (iii) वन विभाग के कार्मिक, जैव-विविधता प्रबंधन समितियों, पारिस्थितिक पर्यटन कार्यक्रमों और वनवासियों और जनजातियों के लिए अधिसूचित प्रजातियों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।

[फा. सं. 28-12/2008-सीएस-III]

अनिल संत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2015

S.O. 1162 (E). — In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Administration of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli, hereby notifies the species of animals, which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table below, for the Administration of the Daman & Diu and Dadra and Nagar Haveli, namely: —

TABLE

Sl. No.	Name of the Animal
(1)	(2)
1.	<i>Balaenoptera musculus</i> (Linnaeus, 1758)

2. The collection of the species of animals listed in column (2) of the Table shall be prohibited, except with the approval of the Administration of the Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli only for the purposes mentioned below, namely: —

- (a) scientific research;
 - (b) herbarium and museum of scientific and academic institutions;
 - (c) propagation; and
 - (d) any other scientific investigation
3. The Administration of the Daman & Diu and Dadra and Nagar Haveli shall undertake: —
- (i) studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;
 - (ii) propagation of the notified species for the purpose of in situ and ex situ conservation and rehabilitation; and
 - (iii) awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28-12/2008-CS-III]

ANIL SANT, Jt. Secy.